

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 09.02.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

विषय :- भामाशाह डाटाहब पोर्टल पर छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया की जानकारी हेतु वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 12.02.2018 के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- डी.ओ.आई.टी. जयपुर का ई-मेल दिनांक 08.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक ई-मेल के क्रम में लेख है कि भामाशाह डाटाहब पोर्टल पर की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही की विस्तृत जानकारी देने हेतु दिनांक 12.01.2018 सोमवार को दौपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक जिला मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर एक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का आयोजन डी.ओ.आई.टी. जयपुर द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय के मेकर-छात्रवृत्ति प्रभारी लिपिक, चेकर-जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं एवं एकाउन्ट्स-ए.ए.ओ. अथवा केशियर जिनकी भी आई.डी. आप द्वारा मेप करवाई गई है अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की महत्ता को देखते हुए इससे अनुपस्थिति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति प्रस्तावों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरांत करणीय कार्यों के मार्गदर्शनार्थ पत्र दिनांक 18.01.2018 एवं 06.02.2018 द्वारा आप समस्त को निर्देशित कर दिया गया था। संभवतया आपने उक्त पत्रों की भावनानुरूप एक्सल शीट डाउनलोड कर समस्त संशोधन आदि निर्देशों के दायरे में रहकर सम्पन्न कर लिए होंगे। उक्त दोनों पत्र सहज सुलभ संदर्भ के लिए इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

इस वर्ष 2017-18 के समस्त व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के लाभार्थियों को (जिसमें कि छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं) राशि का हस्तान्तरण भामाशाह डाटाहब पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस प्रक्रिया के सम्पादन हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के मेकर, चेकर एवं एकाउन्ट्स की एस.एस.ओ. आई.डी. को भामाशाह डाटाहब पोर्टल से मेप किया जा चुका है।

09/02/18
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 09.02.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा भी स्वयं के कार्यालय में छात्रवृत्ति योजनाओं की मॉनेटरिंग कर रहे सहायक निदेशक / अन्य अधिकारी को अनिवार्यतः इस वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित होने बाबत निर्देशित करें।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

www.rajteachers.com

09/02/18
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 18.01.2018

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विद्यालयों द्वारा कार्य सम्पन्न कर दिए जाने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) स्तर पर करणीय अग्रिम कार्य।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विद्यालयों द्वारा दिनांक 15.01.2018 तक कार्य सम्पन्न कर दिया गया है। विद्यालयों द्वारा कार्य सम्पन्न किए जाने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय स्तर पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के बिन्दुवार निर्देश यहां दिए जा रहे हैं :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) शालादर्पण पर लॉगिन कर "कार्य प्रगति" टैब से ड्राप-डाउन विण्डो के अंतिम ऑप्शन "स्कॉलरशिप समरी रिपोर्ट" को क्लिक कर नई विण्डो पर पहुंचेगा जहां कि स्कॉलरशिप योजना एवं कक्षाओं का चयन कर नीचे अंकित "गो" बटन पर क्लिक कर ब्लॉक वार संख्यात्मक पात्र विद्यार्थियों की सूचना तथा ऊपर दाईं ओर नजर आ रहे "एक्सल आईकन" पर क्लिक कर योजना की विस्तृत एक्सल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक स्कॉलरशिप योजना की अलग-अलग एक्सल शीटें डाउनलोड कर सेव कर लें।
2. उक्त समस्त 10 योजनाओं की मूल एक्सल शीट्स को सुरक्षित रखते हुए उनकी कॉपी कर जिला कार्यालय स्तर पर निम्नांकित कार्य सम्पन्न किए जाने हैं:-
 - ऐसा देखने में आया है कि कतिपय जिला लॉगिन पर छात्रवृत्ति योजना वार एक्सल शीट डाउनलोड करने पर अन्य केटेगरी के विद्यार्थी भी उसमें सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08 की शीट डाउनलोड करने पर उसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अलावा अन्य केटेगरी - एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी इत्यादि के विद्यार्थी भी सम्मिलित नजर आ रहे हों। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08 की शीट से कट कर स्वयं की केटेगरी की शीट में पेस्ट किया जाना है। इस सम्पूर्ण कार्यवाही का जिस शीट से नाम हटाया गया है उसका शीर्षक अंकित कर पूर्ण लेखाजोखा रखा जाना है तथा की गई इस कार्यवाही के लिए सम्बन्धित संस्था प्रधानों से अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक होगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी की केटेगरी तो वही हो परन्तु त्रुटिवश पोर्टल पर परिवर्तित हो गई हो। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति योजना जिस केटेगरी के लिए है उसके अतिरिक्त किसी अन्य केटेगरी का विद्यार्थी उस योजना में लाभान्वित न होने पावे।
 - डाउनलोड की गई एक्सल शीट्स की जांच करें तथा कमियों का पता लगाने का प्रयास करें। उदाहरणार्थ - केटेगरी अंकित नहीं, बैंक खाता संख्या, बैंक ब्रांच का आई.एफ.एस.कोड, आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर इत्यादि में किसी भी प्रकार की त्रुटि नजर आवे तो उन्हें मार्क (हाईलाईट) कर लें। त्रुटि का पता अनुभव से हो पाएगा जैसेकि आधार नम्बर - 1111-1111-1111 अंकित हों, भामाशाह नम्बर- ABCDEFG या AAAAAAA अंकित हो तो वह गलत होगा। इस प्रकार के प्रकरणों का लेखाजोखा रखें तथा सम्बन्धित संस्था प्रधान को कारण बताओं नोटिस सर्व करें तथा उपयुक्त कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उसे गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए 17 सी.सी.ए. के प्रस्ताव इस कार्यालय को मय प्रपत्र अ,ब,स,द अविलम्ब प्रस्तुत करें।
 - चूंकि शालादर्पण पोर्टल का जो डाटा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लॉगिन पर प्राप्त हुआ है वह सम्बन्धित संस्था प्रधानों से ओ.टी.पी. के माध्यम से प्रमाणित है इसलिए इस डाटा में किसी भी विद्यार्थी का नाम ऑफलाईन जोडा नहीं जाना है। कोई त्रुटि जिसमें संशोधन संभव ना हो ऐसे विद्यार्थियों को हाईलाईट कर उन्हें सूची से बाहर किया जाना है अर्थात् जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर अंतिम वेलिडेशन किया जाना अपेक्षित है।

www.rajteachers.com

18/01/18
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 18.01.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

18/01/18
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर



GOVT. OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION
RAJASTHAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION



WELCOME
GUEST USER

पालनहार RANKING कार्यालय डैशबोर्ड रिपोर्ट रेडमिन मेन्यू मॉडल विद्यालय कार्य प्रगति मान्यता मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना विद्यालय अवलोकन खोजे

स्कीम SIQE CERTIFICATION INTERNSHIP CIVIL

Home Scholarship Summary Report

SCHOLARSHIP SUMMARY REPORT

6. Finally to export in excel sheet **click here**

उचित का चयन करें

Scholarship Type

अनसंचित जाति पर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)

Class Group

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Select the scheme



Go Cancel

5. Select classes as per scheme





GOVT. OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION
RAJASTHAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION



WELCOME
GUEST USER

पालनहार RANKING कार्यालय डैशबोर्ड रिपोर्ट ऐडमिन मेन्यू मॉडल विद्यालय कार्य प्रगति मान्यता मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना विद्यालय अवलोकन खोजे

स्कीम SIQE CERTIFICATION INTERNSHIP CIVIL

Home Scholarship Summary Report

SCHOLARSHIP SUMMARY REPORT

उचित का चयन करें

7.

save & rename this downloaded file

Scholarship Type

अनसूचित जाति पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)

Class Group

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Go

Cancel

8. Repeat these steps for all the 10 schemes

9. as you know very well block or school wise numeral details can be saw from here

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 06.02.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

विषय :- शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप बजट आवंटन के पश्चात् करणीय कार्यों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपने निर्देशानुसार छात्रवृत्ति योजनावार एक्सल शीट डाउनलोड कर वांछित संशोधन कर लिए होंगे। निदेशालय द्वारा 08 छात्रवृत्ति योजनाओं के बजट प्रावधान जारी किए जा चुके हैं। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को गत वर्षों की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान बाबत बजट प्रावधान दिनांक 03.10.2017 को जारी किए गए थे इस आवंटित राशि में से अब भी कुछ राशि उनके आई.एफ.एम.एस. खाते में शेष है। ध्यान रहे इस शेष राशि को समायोजित करते हुए बजट प्रावधान 2017-18 के प्रस्तावों हेतु जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा शालादर्पण से डाउनलोड एवं संशोधित डाटा को भामाशाह पोर्टल पर अपलोड करते हुए अग्रिम भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। इस बाबत बिन्दुवार दिशानिर्देश निम्नांकित हैं:-

1. भामाशाह पोर्टल पर कार्यकरने हेतु प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर मेकर,चेकर एवं एकाउन्ट परसन की एस.एस.ओ. आई.डी. मेप की जा चुकी है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर अविलम्ब संशोधित सूचना निदेशालय को प्रस्तुत करते हुए मेपिंग का कार्य करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रहेगा।
2. भामाशाह पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के उपरांत केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान हो पाएगा जिनके भामाशाह नम्बर/भामाशाह नामांकन वैध पाए जावेंगे साथ ही जिनके बैंक अकाउन्ट जो कि शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं वे भामाशाह कार्ड डाटा में मेप होंगे।
3. अतः प्रत्येक संस्थाप्रधान को इस बाबत पुनः निर्देशित करें कि यदि अब भी छात्रवृत्ति हेतु शालादर्पण पर अपलोड किए गए विद्यार्थियों के बैंक अकाउन्ट भामाशाह कार्ड डाटा में मेप नहीं हैं तो वे 03 दिवस में मेप करवाना सुनिश्चित करें। यह कार्य ई-मित्र केन्द्रों एवं अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से करवाया जा सकता है।
4. समस्त 10 छात्रवृत्ति योजनाएं जो कि शालादर्पण पोर्टल पर सम्पादित की जा रही हैं की डाउनलोड की गई "मूल एक्सल शीट" एवं "संशोधित एक्सल शीट" इस पत्र के प्राप्त होते ही 03 दिवस में जरिये इस कार्यालय के ई-मेल पते deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
5. भामाशाह पोर्टल पर कार्य करते समय आ रही किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए तत्काल स्थानीय जिला अटल सेवा केन्द्र के ए.सी.पी. महोदय से सहायता लें। तदुपरांत भी निराकरण न होने पर श्री सुनील कुमार चौधरी भामाशाह प्रकोष्ठ जयपुर से मोबाईल नम्बर 9875005622 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ध्यान रहे अनावश्यक एवं समस्या के तकनीकी न होने पर श्री सुनील से सम्पर्क ना किया जावे।
6. कतिपय विद्यालयों द्वारा बार-बार यह परिवेदना प्रस्तुत की जा रही है कि विभिन्न कारणों से वे शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का डाटा छात्रवृत्तियों हेतु फाइनल सबमिट नहीं कर पाए तथा वे अब पोर्टल को पुनः खोलने का निवेदन कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में लेख है कि शालादर्पण पोर्टल को पुनः खोलना संभव नहीं है परन्तु यदि संस्थाप्रधान भामाशाह नम्बर /भामाशाह नामांकन संख्या सहित डाटा प्रस्तुत करना चाहें तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जावे परन्तु डाटा उसी प्रारूप में हो जिस प्रारूप में वह शालादर्पण पोर्टल से एक्सल शीट में डाउनलोड किया गया है। साथ ही संस्था प्रधान से इस आशय का घोषणा पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे "कि मेरे द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विद्यार्थियों का विवरण शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड कर फाइनल सबमिट नहीं किया जा सका इस कारण मैं यह डाटा ऑफ लाईन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा अन्यान्य कारणों से यदि मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ।"

www.rajteachers.com

06/02/18

प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 06.02.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

06/02/18

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति